### (भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

## अधिसूचना

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी को चार लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) में पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) नियुक्त करती है।

(फा.सं. आर-12011/02/2023-बीमा-I)

(अब्दुल गुफरान)'

अवर सचिव, भारत सरकार

डीएफएस पृष्ठांकन एफ. सं. आर- 12011/02/2023-बीमा 1

दिनांकित: 20 मई, 2024

### प्रति:

- 1. श्री सत्यजीत त्रिपाठी, भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई
- 2. अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
- 3. श्री सुबीर कुमार, अवर सचिव (ईओ-एसएम.॥), एसीसी सचिवालय, डीओपीटी नई दिल्ली, एसीसी सचिवालय के संचार सं. 31/1/2024-ईओ (एसएम.॥), दिनांकित 17.05.2024 के संदर्भ में।
- 4. एफ.एम. के पी.एस. / राज्य मंत्री (वित्त) के पी.एस.
- 5. सचिव के पीपीएस / अतिरिक्त सचिवों के पीएस, वित्तीय सेवाएं विभाग
- 6. अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
- 7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनआईसीएल/एनआईएसीएल/ओआईसीएल/यूआईआईसीएल/ एआईसीएल/जीआईसी
- ८. गार्ड फाइल

(अब्दुल गुफरान) अवर सचिव भारत सरकार

# [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

# Government of India Ministry of Finance (Department of Financial Services)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, 20th May 2024

S.O.\_\_\_\_.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Satyajit Tripathy, former Chairman-cum-Managing Director, United India Insurance Company Limited, Chennai as Whole-Time Member (Distribution) in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), on a consolidated pay package of four lakh rupees per month (without facility of house and car), with effect from the date of assumption of charge of the post till he attains the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier.

(F. No. R-12011/02/2023-Ins.I)

(Abdul Gufran)

Under Secretary to Government of India

DFS Endorsement F. No. R-12011/02/2023-Ins.I

Dated: 20th May 2024

### Copy to:

- 1. Shri Satyajit Tripathy, former Chairman-cum-Managing Director, United India Insurance Company Limited, Chennai
- 2. Chairperson, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad
- Shri Subir Kumar, Under Secretary (EO-SM.II), ACC Sectt., DoPT, New Delhi, with reference to ACC Sectt.'s communication no. 31/1/2024-EO(SM.II), dated 17.05.2024
- 4. P.S. to F.M./ P.S. to MoS (Finance)
- 5. PPS to Secretary /PS to Additional Secretaries, Department of Financial Services
- 6. Chairperson, Life Insurance Corporation of India
- 7. Chairman-cum-Managing Directors, NICL/NIACL/OICL/UIICL/AICL/GIC

8. Guard file

(Abdul Gufran)

Under Secretary to Government of India